प्रेस नोट   दिनांक- 17.08.2026

सम्पूर्ण समाधान दिवस

आज दिनांक 17.08.2026 को तहसील मुहम्मदाबाद में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की गयी, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र मुन्नू निवासी- धर्मपुर करखन्ना देवारा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 17.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 30 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 339 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को

हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध शराब बेचने वाला 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0- 71/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोपागंज जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 17.08.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद, अभियुक्त महेन्द्र राजभर पुत्र दलसिंगार उर्फ दल्लू निवासी कुर्तीजाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को **जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000 /- रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।